

नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01

अंक : 069

दि. 11.12.2025,

गुरुवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneha Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.


Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 • Email : navsarjansanskriti2016@gmail.com • Email : navsarjansanskriti2016@yahoo.com • Website : www.navsarjansanskriti.com

जेन जी आंदोलन की जांच तेज, पूर्व प्रधानमंत्री ओली और पूर्व गृहमंत्री लेखक की जबरन पेशी की तैयारी

(जीएनएस)। नेपाल में जेन जी आंदोलन के दौरान पुलिस बल द्वारा कथित अत्यधिक शक्ति प्रयोग की जांच अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। न्यायिक आयोग, जो इस पूरे मामले की सुनवाई और तथ्य संग्रह कर रहा है, अब उन वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं की ओर बढ़ रहा है जिनकी भूमिका और आदेशों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक द्वारा अब तक अपना बयान दर्ज न कराए जाने को अत्यंत गंभीर मानते हुए उन्हें कानूनी रूप से पेश कराने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के

कार्यकाल में केवल दो सप्ताह शेष रह गए हैं, जबकि राजनीतिक स्तर के कई महत्वपूर्ण बयान अभी भी लंबित पड़े हैं, ऐसे में आयोग ने प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आयोग के प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा ने बताया कि अब तक लगभग 150 अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। फील्ड में तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से प्रारंभिक पूछताछ पूरी होने के बाद अब आयोग की फोकस वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षा शीर्ष पदों पर मौजूद अधिकारियों पर है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री ओली,

पूर्व गृहमंत्री लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल और नेपाल पुलिस प्रमुख दानबहादुर कार्की के बयान इस जांच के लिए अनिवार्य हैं और इनके बिना पूरी प्रक्रिया अधूरी बनी रहेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आयोग की सिफारिश पर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री ओली और पूर्व गृहमंत्री लेखक की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही उन्हें बिना अनुमति काठमांडू से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री ओली पहले ही यह कह चुके हैं कि वे आयोग को असंवैधानिक



मानते हैं और इसके समक्ष बयान देने का कोई आधार नहीं देखते, जिसके चलते मामला और अधिक टकरावपूर्ण हो गया है।



आयोग के प्रवक्ता शर्मा ने साफ कहा कि बयान प्रक्रिया से पीछे हटने का कोई कानूनी आधार नहीं है और यदि दोनों नेता आयोग के समक्ष स्वेच्छा

से उपस्थित नहीं होते, तो उन्हें पेश कराने के लिए बाध्यकारी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आयोग सरकार से अनुरोध कर सकता है कि आवश्यक होने पर पुलिस बल की मदद से उन्हें आयोग के सामने उपस्थित कराया जाए। इसी दिशा में गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्याल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि आयोग औपचारिक अनुरोध करता है तो सरकार कानून के अनुसार पुलिस को तैनात कर दोनों नेताओं को आयोग के समक्ष लाएगी। गृहमंत्री का कहना है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और किसी भी व्यक्ति की हैसियत या पद को देखते हुए इसकी

अवहेलना नहीं की जा सकती। हालाँकि दूसरी ओर नेकपा (एमाले) के उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली ने आयोग की वैधता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यह आयोग ही अवैध और पक्षपाती है, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री ओली के वहाँ उपस्थित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञवाली का दावा है कि आयोग राजनीतिक प्रेरणा से संचालित है और इसके निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होंगे। इसी राजनीतिक विवाद के बीच आयोग ने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल का बयान दर्ज कर लिया है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दोबारा तलब करने की संभावना

भी व्यक्ति की है। पूर्व पुलिस प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुंग को भी फिर से बुलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। जेन जी आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई नेपाल की राजनीति, प्रशासन और सुरक्षा ढाँचे को गहराई से प्रभावित करने वाला विषय बन चुका है। आयोग की जांच जैसे-जैसे अपने अंतिम चरण में पहुँच रही है, राजनीतिक तनाव भी उतना ही बढ़ता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृहमंत्री को वास्तव में आयोग के सामने पेश किया जाएगा या यह विवाद नेपाल की राजनीति को एक नए मोड़ की ओर ले जाएगा।

राजकोट में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार, देश में फिर गरजी न्याय की मांग

(जीएनएस)। राजकोट। गुजरात के राजकोट जिले में एक भयावह और चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसमें पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया है। अटकोट थाना क्षेत्र के पास एक गांव में 6 साल और आठ महीने की मासूम बच्ची के साथ अत्यधिक क्रूरता का मामला सामने आया। घटना की गंभीरता और समय पर पुलिस की कार्रवाई ने इसे राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। घटना 4 दिसंबर को हुई जब बच्ची अपने माता-पिता के खेत में खेल रही थी और उनके परिवार के सदस्य खेत में मजदूरी कर रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने बच्ची का अपहरण किया और उस पर हमला किया। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, उन्होंने तुरंत पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी की खोज में 10 जांच टीमों का गठन किया।



कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी गई। बच्ची को त्वरित प्राथमिक चिकित्सा के लिए राजकोट के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति अब धीरे-धीरे स्थिर बताई जा रही है।

यह मामला 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली निर्भया कांड की याद दिलाता है, जिसमें एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उस पर क्रूरता की गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे घटनाएं समाज में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करती

हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानूनों और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। राजकोट पुलिस की तत्परता और जांच में तेजी ने यह सुनिश्चित किया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता, निगरानी और सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने भी घटना की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा उपाय बढ़ाने और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने की घोषणा की है। इस घटना ने एक बार फिर देशभर में बच्चों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पर बहस को तेज कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ कानून पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और सुरक्षा प्रणालियों का सुदृढ़ होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राजकोट की इस घटना ने इस दिशा में तत्काल कार्रवाई और सतर्कता की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है।

अलवर अस्पताल की घोर लापरवाही ने परिवार को दोहरी त्रासदी में डाल दिया, मृतक के अंतिम संस्कार में हुई भूल

(जीएनएस)। अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल परिवार को स्तब्ध कर दिया बल्कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के एक परिवार को अपने बुजुर्ग परिजन के निधन की खबर मिली थी और उन्होंने विधि-विधान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली थी। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया और अस्थि विसर्जन की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन दो दिन बाद जीआरपी थाना पुलिस की कॉल ने उनके होश उड़ा दिए। उन्हें बताया गया कि उनका असली परिजन अभी भी जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में है और पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस सूचना के बाद परिवार फिर से अस्पताल पहुंचा और उन्हें यह यकीन करना पड़ा कि उन्होंने गलती से किसी और का शव अंतिम संस्कार कर दिया। मामला तब और जटिल हुआ जब जिले के उद्योग नगर और जीआरपी थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से दो बुजुर्गों के शव मिले। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में भेजा गया। इसी बीच राजगढ़ थाना क्षेत्र के परिजन पहचान प्रक्रिया के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मॉर्च्युरी में रखे एक शव को अपने मृतक परिजन का मान लिया। परिजन लंबे समय से घर से दूर काम कर रहे व्यक्ति की पहचान पहले से ही मुश्किल थी, और अस्पताल प्रशासन ने भी बिना पुष्टि किए शव सौंप दिया। परिणामस्वरूप परिवार ने विधि-विधान से अंतिम संस्कार कर दिया।

लेकिन दो दिन बाद पुलिस ने परिवार को कॉल कर सूचित किया कि असली मृतक अभी भी अस्पताल में है। यह सुनते ही परिजन स्तब्ध रह गए और समझ गए कि उन्होंने किसी और का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम आमतौर पर 72 घंटे की पहचान अवधि पूरी होने के बाद किया जाता है, लेकिन इस मामले में पहचान और प्रक्रियाओं में गड़बड़ी हुई। परिजन अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि शव सौंपने से पहले उचित पहचान और पुष्टि की जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन की जल्दबाजी और उदासीनता के कारण यह त्रासदी हुई। अस्पताल के अधिकारी इस मामले में अभी तक स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह अस्पतालों में मॉर्च्युरी संचालन और शव पहचान प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को भी उजागर करती है। परिवार को अब वास्तविक परिजन का शव प्राप्त कर उसे अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी होगी, जिससे उनके दुख और पीड़ा में और वृद्धि हुई है।

बाड़मेर में वीर बलवंत सिंह की प्रतिमा स्थापना, 1971 युद्ध की शौर्यगाथा का सम्मान

(जीएनएस)। बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बाखासर गांव में 13 दिसंबर को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बलवंत सिंह बाखासर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह समारोह 1971 के भारत-पाक युद्ध में अद्वितीय वीरता और सीमा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बलवंत सिंह की याद में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जगदीश सिंह शेखावत, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, कई जनप्रतिनिधि और सैन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बलवंत सिंह बाखासर का नाम वीरता और समाज सेवा का प्रतीक रहा। सीमावर्ती इलाके में जन्मे और पले-बढ़े बलवंत सिंह को 'रॉबिनहुड' के नाम से जाना जाता था। अकाल और कठिन परिस्थितियों में वह पाकिस्तानी डाकुओं से अनाज और अन्य आवश्यक सामग्री छीनकर गरीबों और जरूरतमंदों में वितरित करते थे। उनकी यह सेवा और साहस स्थानीय लोगों के बीच उन्हें गरीबों का मसीहा बनाती थी। बाखासर का भौगोलिक महत्व भी विशेष था, जहां एक ओर पाकिस्तान की सीमा और दूसरी ओर गुजरात थी। इस रेगिस्तानी इलाके की कठिन परिस्थितियों में उनका अनुभव और जानकारीयों अत्यंत उपयोगी साबित हुईं। 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय इस इलाके की जिम्मेदारी जयपुर के पूर्व महाराजा और ब्रिगेडियर भवानी सिंह के हाथ में थी। बलवंत सिंह की क्षमताओं और इलाके की जानकारी से अवगत होकर भारतीय सेना ने

उनसे सहयोग लिया। बलवंत सिंह ने भारतीय सेना के साथ मिलकर छाछरी की ओर रसद, असलहा और पानी पहुंचाने में मदद की। उनकी रणनीतिक समझ और कठिन रेगिस्तानी रास्तों की जानकारी ने भारतीय सेना को निर्णायक और सटीक हमले में सहायता दी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना ने छाछरी पर नियंत्रण स्थापित किया, जो कई महीनों तक प्रशासनिक रूप से भारत के अधीन रहा। बाद में शिमला समझौते के तहत इसे वापस पाकिस्तान को सौंपा गया। बलवंत सिंह की वीरता और लोकसेवा को अमर बनाने के लिए बाखासर में बलवंत चौक पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। अनावरण समारोह में बलवंत सिंह के परिवारजन, पूर्व सैनिक और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। साथ ही समारोह में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। बाखासर के ग्रामीण इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं और इसे अपने इलाके की गौरवगाथा का प्रतीक मानते हैं। इस प्रतिमा स्थापना से न केवल बलवंत सिंह के योगदान को याद किया जाएगा, बल्कि नई पीढ़ी के लिए देशभक्ति, वीरता और सेवा का आदर्श भी स्थापित होगा। उनका जीवन यह संदेश देता है कि साहस और समाज सेवा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी धरोहर को अमर बना सकता है और राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

(जीएनएस)। सूरत। गुजरात के सूरत शहर में बुधवार की सुबह एक बार फिर भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिसने शहरवासियों को सकते में डाल दिया। आग राज टेक्सटाइल मार्केट में लगी, जो शहर का प्रमुख कपड़ा हब माना जाता है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तुरंत 15 से अधिक फायर टेंडर मौके पर भेजे। आग इतनी भयानक थी कि मार्केट में धुएँ का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया। आग तेजी से फैलने के कारण कई दुकानों और गोदामों में लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया। सूरत के चीफ फायर ऑफसर बसंत परिक ने बताया कि आग करीब 7 बजकर 14 मिनट पर लगी और इसके तुरंत बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। कुल मिलाकर इस आपरेशन में 22 फायर टेंडर और 100 से 125 फायर अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रहे। उन्होंने कहा कि आग अब पूरी तरह नियंत्रण में है और वर्तमान में बिल्डिंग के अंदर कूलिंग का काम चल रहा है। गोदाम



में भरे भारी सामान के कारण अंदर प्रवेश करना मुश्किल है और कूलिंग में कुछ समय लग सकता है। दमकल अधिकारी ने बताया कि आग ने कपड़ा बाजार को गंभीर क्षति पहुंचाई है। दुकानदारों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि आग कैसे लगी, इसकी जांच

की जा रही है और प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी कारणों की संभावना जताई जा रही है। सूरत की घटना के ठीक पहले दाहोद जिले में भी आग की घटना हुई। सिंगवाद तालुका के बरेला गांव में एक ही परिवार के पांच भाइयों के घर में आग लगी, जिसमें घर में बंधी चार बकरियां जलकर मारी गईं, जबकि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर

निकल आए। गोधरा दमकल विभाग ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। इस आग में घर का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया, लेकिन किसी की जान नहीं गई। विशेषज्ञों का मानना है कि गुजरात में सर्दियों की शुरुआत और बढ़ते शॉर्ट सर्किट मामलों के चलते इस तरह की आग की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। सूरत और दाहोद की घटनाओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तत्काल प्रतिक्रिया और पर्याप्त दमकल संसाधन ही बड़े नुकसान को रोक सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने सभी प्रभावित दुकानदारों और परिवारों को राहत और पुर्ननिर्माण के लिए तत्पर रहने का आश्वासन दिया है।

इस बीच सूरत पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग लगने वाले इलाके को सुरक्षित कर दिया है और जांच में जुटी टीम घटनास्थल के सबूत इकट्ठा कर रही है। अधिकारी जांच के संभावित कारणों की विस्तृत जांच कर भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के उपायों पर भी ध्यान देंगे।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO. 2063

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba TV

Dish Plus

Jio Air Fiber

Jio tv +

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Rocu Tv-US.UK

fire tv

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

संपादकीय

धनी देशों की तंगदिली

से बढ़ेगी मृत्यु दर

इस सदी के ढाई दशक में बाल मृत्यु दर घटने को दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया था, लेकिन अब इस सदी में पहली बार बाल मृत्यु दर में वृद्धि की आशंका जतायी जा रही है। गेट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है दुनिया भले ही अमीर हो गई है लेकिन गरीब देशों के बच्चों पर होने वाला खर्च घटा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, धनी देशों द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य खर्च पर 27 फीसदी की कटौती की गई है। जिससे इस वर्ष दो लाख अतिरिक्त बच्चों की मौत की आशंका जतायी जा रही है। दरअसल, ये मौतें उन बीमारियों से हो सकती हैं, जिन्हें अमीर देशों से मिलने वाली मदद से होने वाले टीकाकरण और बुनियादी इलाज से टाला जा सकता था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं कि जिस समय दुनिया में संपत्ति सबसे तेजी से बढ़ रही है, उस समय गरीब देशों के बच्चों पर स्वास्थ्य खर्च का घट जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। आशंका जतायी जा रही है कि यदि स्वास्थ्य सहायता में तीस प्रतिशत की कटौती हो जाती है तो वर्ष 2045 तक 1.6 करोड़ अतिरिक्त बच्चों की मौत हो सकती है। विडंबना देखिए कि इस आसन्न संकट को नजरअंदाज करके विकसित देश अपने रक्षा व आंतरिक खर्च को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जबकि अमीर देशों द्वारा गरीब मुल्कों के बच्चों के स्वास्थ्य के लिये दिया जाने वाला पैसा उनके बजट के एक फीसदी से भी कम है। गेट्स फाउंडेशन का विश्व के अमीर देशों से आग्रह है कि वे दुर्लभ संसाधनों को उन स्थानों पर लक्षित करें, जहां वे सबसे अधिक जीवन बचा सकते हैं। दरअसल, संकट में वे बच्चे हैं, जो अपना पांचवां जन्मदिन मनाने से पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। इस संकट बढ़ने से दशकों से हासिल वैश्विक प्रगति बेकार हो जाएगी। निस्संदेह, दुनिया में कहीं भी पैदा हुए बच्चे को जीवित रहने और फलने-फूलने का अवसर मिलना चाहिए।

दरअसल, गेट्स फाउंडेशन की गोलकीपर्स रिपोर्ट और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने बताया कि 2024 में, 4.6 मिलियन बच्चों की पांचवें जन्मदिन से पहले मौत हो गई थी। आशंका है कि आर्थिक मदद में कटौती से इस वर्ष इस संख्या में दो लाख की वृद्धि से इसके बढ़कर 4.8 मिलियन बच्चों तक पहुंचने की आशंका है। जिसकी मूल वजह स्वास्थ्य के लिये वैश्विक मदद में आई बड़ी गिरावट है। इस वर्ष सहायता निधि में भारी कटौती के अलावा गरीब देशों के बढ़ते कर्ज, कमजोर स्वास्थ्य सिस्टम के चलते मलेरिया, एचआईवी और पोलियो जैसी बीमारियों के विरुद्ध हासिल उपलब्धियों को खोने का जोखिम बढ़ सकता है। हालिया रिपोर्ट बताती है कैसे प्रमाणित समाधानों और अगली पीढ़ी के नवाचारों में लक्षित निवेश से सीमित बजट में लाखों बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। निस्संदेह, गरीब मुल्कों के ये बच्चे सुरक्षित जीवन पाने के हकदार हैं। गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स कहते हैं विश्व में गरीब मुल्कों के बच्चों के स्वास्थ्य रक्षा के लिये वित्तीय संसाधन बढ़ाने व वर्तमान सिस्टम में सुधार हेतु दक्षता बढ़ाने की जरूरत है। हमें कम संसाधनों में अधिक काम करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी पीढ़ी के दामन पर दाग लगेगा कि मानव इतिहास में सबसे उन्नत विज्ञान और नवाचार की पहुंच के बावजूद हम लाखों बच्चों का जीवन बचाने के लिये धन नहीं जुटा पाए। हम सही प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं तय करके तथा उच्च प्रभाव वाले समाधानों में निवेश करके बाल मृत्यु दर वृद्धि को रोक सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हम वर्ष 2045 तक कई मिलियन बच्चों को जीवित रहने में मदद कर सकते हैं। इसके लिये जरूरी होगा कि हम विदेशी मदद का अधिकतम उपयोग करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, नियमित टीकाकरण, गुणवत्ता के टीके और डेटा के नये उपयोग पर अधिक ध्यान दें। निस्संदेह, इन बीमारियों से लड़ने के लिये वैश्विक प्रतिबद्धता को जारी रखने की जरूरत है। गेट्स फाउंडेशन का मानना है कि अगली पीढ़ी के नवाचारों के विकास में निवेश से हम बच्चों में होने वाले मलेरिया और निमोनिया जैसे कुछ घातक रोगों को हमेशा के लिये खत्म कर सकते हैं।

अभियान

जब आस्था ने मोमोज और चाऊमीन को प्रसाद बना दिया

भारत की धरती पर मंदिरों की परंपराएँ जितनी प्राचीन हैं, उतनी ही विविध और रोचक भी। कहीं प्रसाद में तिल के लड्डू मिलते हैं, कहीं नारियल, कहीं गुड़-चावल; लेकिन कोलकाता की चहल-पहल भरी सड़कों के बीच एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्तों को प्रसाद में मिलता है गरमा-गरम मोमोज, सुगंध से भरी चाय और इतने ही अलग-अलग चीनी स्वाद का एहसास दिलाता फ्राइड राइस। सुनने में यह किसी मिथक जैसा लगे, पर यह सच्ची कहानी है। तांग्रा क्षेत्र में स्थित काली माँ के उस मंदिर की, जिसने आस्था को सीमा और संस्कृतियों से परे जाकर अपनाया है।

इस मंदिर की विशेषता केवल इसका प्रसाद नहीं, बल्कि इसका उद्भव, इसकी वायु में तैरती दंतकथाएँ और इतके चारों तरफ फैला भारतीय-चीनी संस्कृति का रंग है। तांग्रा, जिसे सालों से चाइना टाउन कहा जाता है, कभी सांस्कृतिक मिश्रण का केंद्र हुआ करता था। संकरी गलियों में तली हुई नूडल्स की खुशबू, लाल रंग की सजावट, लटकते चीनी लालटेन और उसके बीच खड़ा



माँ काली का यह शांत मंदिर—दो संस्कृतियों का ऐसा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। मंदिर की कथा उतनी ही अद्भुत है जितनी उसकी परंपरा। कई वर्ष पहले इसी इलाके में एक छोटा बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर इलाज से थका चुके थे और उम्मीद लगभग खत्म हो



चुकी थी। बच्चे के माता-पिता टूट गए थे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। उस समय इस स्थान पर केवल एक पेड़ के नीचे दो काले पत्थर रखकर काली माँ की पूजा होती थी। परिवार ने टूटे मन से बच्चा वहीं लिटा दिया और कहा—

“माँ, यदि हमारा बेटा जीवित हो गया तो हम यहीं एक मंदिर

बनावेंगी।” कहते हैं, जैसे किसी चमत्कार ने उस स्थान को स्पर्श कर लिया हो, बच्चा उस पेड़ के नीचे उठकर बैठ गया। घरवालों की आँखों में भय, विस्मय और कृतज्ञता एक साथ तैरने लगीं। उस क्षण से यह स्थान साधारण नहीं रहा। यहाँ माँ काली की उपस्थिति महसूस की जाने लगी, और कुछ सालों

में एक सुंदर मंदिर का रूप ले लिया। लेकिन इस मंदिर की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। तांग्रा क्षेत्र में रहने वाले चीनी परिवार, जो सिविल वॉर के दौरान यहाँ आ बसे थे, अपनी आस्था और अपनी जीवनशैली दोनों लेकर आए थे। जब उन्होंने काली माँ के इस चमत्कार के बारे में सुना, तो उन्होंने देवी को वही भोग चढ़ाया जो उनके लिए प्रेम और स्वाद का प्रतीक था—चाऊमीन, मोमोज और फ्राइड राइस।

उनके लिए यह भोजन केवल खाना नहीं था, यह घर की याद, संस्कृति की महक और उनके जीवन का हिस्सा था। और जब उन्होंने प्रेम से ये व्यंजन माँ को अर्पित किए, तो यह परंपरा बन गई। आज भी इस मंदिर में हिंदू और चीनी दोनों समुदाय समान श्रद्धा बाँटते हैं। अगरबत्तियों की खुशबू में तली हुई नूडल्स की महक घुल जाती है और यह दृश्य बताता है कि आस्था का कोई भाषा नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई भक्ति नहीं। हर भक्त यहाँ मोमोज को

प्रसाद की तरह ग्रहण करता है, और अजीब बात यह है कि उस प्रसाद में भी वही भाव होता है जो किसी मंदिर के लड्डू में मिलता है—भक्ति, कृतज्ञता और माँ की कृपा।

कोलकाता का यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि यह उस सच का स्मारक है कि जब आस्था और प्रेम मिलते हैं, तो संस्कृतियाँ दीवार नहीं बनातीं, पुल बन जाती हैं।

और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है—यह हमें सिखाता है कि ईश्वर के सामने किसी का भोजन छोटा-बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है हृदय की सच्चाई, और वही सच्चाई मोमोज के हर कौर में महसूस की जा सकती है।

यदि कभी आप कोलकाता जाएँ, तो तांग्रा की गलियों में उतरिए। वहाँ की हवा में चाऊमीन की खुशबू और मंदिर की घंटियों की ध्वनि मिलकर एक अनोखा संसार रचती है। और जब आप वहाँ का प्रसाद चखेंगे, तो समझ आएगा कि कभी-कभी चमत्कार मोमोज के स्वाद में भी मिल जाता है।

ट्रंप के शांति समझौते को नकार फिर संघर्ष

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पनेघोषणाकीथी कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 'ऐतिहासिक' शांति समझौते पर हस्ताक्षर करवा दिये हैं। ट्रम्प ने उसे आधार बनाकर नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी ठोक दी। अब इसका मजाक बनना शुरू हो चुका है।

प्रेरणा

प्रकृति की गोद में जन्मी प्रतिभा का अनकहा सफ़र

एंटोन चेखव के बचपन की यह कहानी केवल एक महान लेखक के जन्म की दास्तान नहीं, बल्कि यह उस सच्चे प्रेम की कहानी है जो एक बच्चे और प्रकृति के बीच मुक्तों के ये बच्चे सुरक्षित जीवन पाने के हकदार हैं। जिस किडरगार्टन में भेजा गया था, वहाँ प्रकृति प्रेम का नियम इस हद तक सख्त था कि बच्चों को फूलों को देखने और उनसे प्रेम जताने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें तोड़ने की मनाही थी। यह नियम बच्चों पर इतना हावी रहता था कि वे फूलों या पेड़ों को देखकर मुस्कराते भी डरते थे। किसी को लगता था कि कहीं शिक्षक उन्हें ठोक न दें, किसी को लगता था कि कहीं गलती से पत्ती छू गई तो सजा न मिल जाए।

लेकिन चेखव उन बच्चों की तरह नहीं थे जिनकी संवेदनाएँ डर के आहत साथे में पड़ें। वह प्रकृति के पास जाते थे जैसे कोई नदी अपने पुराने पथ से मिल रही हो। वह फूलों की तरफ झुककर उन्हें ऐसे देखते जैसे उनमें कोई कहानी छिपी हो, कोई रंग नहीं कर रहा, बल्कि अपनी आत्मा की नसें उन्हें मानो जीवन की लय सिखाती थीं, और उनकी आँखों में द्रुपदाते रंग उन सपनों को जन्म देते थे जो साधारण बच्चों की पहुँच से परे होते हैं। एक दिन वे चुपचाप अपनी कक्षा में गए, कागज और रंग उठाए, और बाहर देखे गए



फूलों की हूबहू आकृतियाँ बनानी शुरू कर दीं। उनके चित्रों में केवल आकार नहीं थे, उनमें वे भाव थे जो किसी डरे हुए बच्चे के हाथ कभी व्यक्त नहीं कर सकते। संयोजिका को जल्द ही समझ आ गया कि यह बालक किसी नियम के दबाव में काम नहीं कर रहा, बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों से चित्रांकन कर रहा है। उन्होंने चेखव को चुपचाप देखा और उनके भीतर के सृजन की ली को पहचान लिया। कुछ दिनों बाद चेखव की माँ को बुलाया गया। माँ के मन में आशंका थी, कि शायद बच्चा किसी शरारत में फँसा होगा। लेकिन



सशस्त्र झड़पें भी हुईं।

इस साल अक्टूबर तक थाई-कम्बोडिया के बीच फुल स्केल वॉर में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और लगभग 40 हजार से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा। विवाद से निपटारे के लिए द्विपक्षीय वार्ता विफल रही। आसियान द्वारा मध्यस्थता और शांति स्थापना प्रयासों के साथ भी यही हुआ। फिर आसियान सम्मेलन के दौरान 25 अक्टूबर, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की थी कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 'ऐतिहासिक' शांति समझौते पर हस्ताक्षर करवा दिये हैं। ट्रम्प ने उसे आधार बनाकर नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी ठोक दी। अब इसका मजाक बनना शुरू हो चुका है।

अब सवाल यह है, क्या ट्रंप केवल शांति समझौता का क्रेडिट लेने की जल्दी में थे? क्या उन्हें समस्या की तह तक नहीं जाना चाहिए था? ट्रंप इसी तरह

शांति स्थापना की सतही घोषणा भारत-पाकिस्तान के सन्दर्भ में करते रहे हैं। यूक्रेन-रूस के बीच शांति प्रयासों का मजाक अलग बन रहा है। ट्रंप की तथाकथित शांति स्थापना से ग़ाज़ में शांति नहीं दिख रही। विश्लेषकों का कहना है कि युद्धविराम के बाद से गाज़ा में इस्राइल द्वारा फलस्तीनीयों की हत्या की दर धीमी हो गई है, लेकिन युद्ध जारी है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाज़ा में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थता वाली योजना का दूसरा चरण करीब है। लेकिन मुख्य मुद्दों को अभी भी हल करने की जरूरत है। मतलब साफ़ है, ट्रम्प ने जहाँ-जहाँ शांति स्थापना का ढोल पीटा, वहां अशांति दोबारा भड़की है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच दोबारा से युद्ध छिड़ जाना ट्रम्प की विफलता का दूसरा उदाहरण है।

मलेशिया, जो अभी आसियान का चेयरमैन है,

ने बीच-बचाव करने की पेशकश की थी। ममार, इस हड़बड़ी के विवाद में मलेशिया भी कम दोषी नहीं है। वह इसे डिप्लोमैटिक जीत मान रहा था, लेकिन उसने अंदर की असुलझी शिकायतों को नजरअंदाज़ कर दिया। पिछली 25 अक्टूबर, 2025 को आत्ममुग्ध ट्रम्प ने सीज़फ़ायर की घोषणा के बाद, इसका पूरा क्रेडिट लिया। सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने कहा था, 'मैंने थाईलैंड के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात की। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दोनों टैरिफ़ धमकी के बाद शांति समझौते के लिए राजी हो गए हैं। सभी को बधाई।' मैंने अपनी ट्रेड टीम को बातचीत फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है।' अफ़सोस, सिर्फ़ 42 दिन बाद ट्रम्प के तथाकथित शांति समझौते की धजियाँ उड़ गईं।

ठीक से देखा जाये, तो उन दिनों चीन की भागीदारी

हिंदू आस्था का मान रखने वाले जज के खिलाफ पूरे विपक्ष का एकजुट होना चिंताजनक मिसाल है

हिंदू-बहुल भारत में आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हो गई है कि किसी हिंदू को अपने ही प्राचीन धर्मस्थल पर दीपक जलाने या पूजा करने के लिए अदालत से अनुमति लेनी पड़े? यह स्थिति आखिर क्यों पैदा हो गयी है कि न्यायालय पूजा की अनुमति दे दे तो सरकार उस अनुमति के क्रियान्वयन को ही रोक दे? यह स्थिति क्यों बन गयी है कि अदालत अनुमति दे दे तो कुछ राजनीतिक दल उस न्यायाधीश को ही पद से हटायें की यांग करने लगें जिसने हिंदुओं को अपने धर्म स्थल पर पूजा करने की अनुमति दी? क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक दृश्य है? सवाल उठता है कि तृप्तिकर्ण की राजनीति की आरं में हिंदू आस्था को बार-बार क्यों चोट पहुँचायी जा रही है? क्या बहुसंख्यक धर्म की परंपराएँ केवल इसलिए संदेह के घेरे में हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति को धर्म और इतिहास से ऊपर रख चुके हैं? और क्या अब न्यायपालिका तक को इस आधार पर निराना बनाया जाएगा कि उसका निर्णय किसी समुदाय को राजनीतिक रूप से असुविधाजनक लगा? इन मूलभूत प्रश्नों के बीच तिरुप्परनकुंदम का दीपथूण विवाद केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का मामला नहीं रह गया है, यह प्रशासनिक निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रही राजनीति की वास्तविकता का आईना बन चुका है। हम आपको बता दें कि मद्रुरै के तिरुप्परनकुंदम में अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और उससे सटे 'दीपथूण' (पत्थर के दीप-स्तंभ) पर दीप प्रज्ज्वलन को लेकर उच्च विवाद लगातार कानूनी और राजनीतिक टकराव का रूप लेता जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय की मद्रुरै पीठ द्वारा 'दीपथूण' पर दीप जलाने की अनुमति देने के बाद राज्य सरकार ने न केवल इस आदेश को चुनौती दी बल्कि जिला प्रशासन ने भी पर्वत की तलहटी पर ही श्रद्धालुओं को रोक दिया। इस घटना ने न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच तनाव को सार्वजनिक रूप से उद्घाटित कर दिया। हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर को न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने हिंदू तमिलर कच्ची के संस्थापक राम रविकुमार की याचिका पर आदेश देते हुए यक्तों को तिरुप्परनकुंदम पहाड़ी पर स्थित दीपथूण पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। लेकिन 3 दिसंबर के कार्तिहिंदी के लिए सीआईएसएफ़ कवर प्रवर्तन करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद पुलिस ने समूह को रोक दिया और राज्य सरकार ने अवमानना कायदाही से बचने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हम आपको बता दें कि इस मामले की जई लगभग सौ वर्ष पुरानी है। तिरुप्परनकुंदम पहाड़ी, जो भगवान मुरगन के छह प्रमुख विंध्य स्थलों (अरुणइडि वीडकु) में से एक है, पर्वत पर स्थित मंदिर और एक दरगाह के बीच 1920 से ही स्वामित्व और धार्मिक अधिकारों को लेकर

विवाद रहा है। उस समय सिविल कोर्ट और बाद में प्रिवी काउंसिल ने पहाड़ी को मंदिर सम्पत्ति घोषित किया था। हिन्दू दीप प्रज्ज्वलन की परंपरा को लेकर न्यायालय ने 1996 में यह कहा था कि पारंपरिक स्थान मंदिर परिसर का उच्चिष्ठलैयार कोविल मंडपम है; हालांकि भविष्य में किसी वैकल्पिक स्थान पर दीप प्रज्ज्वलन की अनुमति HR&CE विभाग द्वारा दी जा सकती है, यशते यह दरगाह से दूर हो। इसके बाद भी दीपपू्ण को पारंपरिक स्थल बताकर कई याचिकाएँ दायर हुईं, जिन पर 2014 और 2017 में उच्च न्यायालय ने यह दोहराया था कि मंदिर प्रबंधन ही धार्मिक परंपराओं और स्थलों का निर्धारण करेगा। लेकिन इस वर्ष पुनः इस विवाद ने जोर पकड़ा और राजनीतिक दल ले लिया। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर कर दी है। वहीं 5 दिसंबर को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वामीनाथन को हटाने का प्रस्ताव सौंपा। आरोप लगाया गया कि न्यायाधीश ने एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर निर्णय दिए और निष्पक्षता व धर्मनिरपेक्षता पर प्रसन्नचिह्न लगा है। देखा जाये तो विपक्ष का यह कदम अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक टकराव बन चुका है, क्योंकि इसे न्यायपालिका पर सीधे प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने न्यायाधीश के निर्णय से असहमति को आधार बनाकर उन्हें हटाने का प्रस्ताव दिया, यह भारतीय लोकतंत्र में अभूतपूर्व और घिंताजनक मिसाल है।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि तिरुप्परनकुंदम पहाड़ी का इतिहास केवल मंदिर-प्रशासन से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह हिंदू आस्था का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है जहाँ सदियों से यक्तों की उपस्थिति रही है। 1920 के सिविल डिज़री और प्रिवी काउंसिल के निर्णय ने स्पष्ट कहा था कि पहाड़ी मंदिर की संपत्ति है तथा दरगाह उससे केवल कुछ सीमित दूरी में सम्बद्ध है। यह तथ्य अपने आप में बताता है कि दीपपू्ण पर दीप जलाना मंदिर-परिसर के भीतर ही धार्मिक अनुष्ठान का एक स्वाभाविक हिस्सा है।

फिर भी, पिछले तीन दशकों में दीपथूण को लेकर विवाद हारता था और प्रशासन ने अक्सर सुरक्षा या साम्प्रदायिक संवेदनशीलता का हवाला देकर हिंदू परंपराओं को सीमित किया।

